न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सं0 42/22 (206/98)

पतराम पुत्र श्री मोखहि जाति बिश्नोई साकिन 23 पी एस तह0 रायसिंहनगर।
प्रार्थी

बनाम

सही राम पुत्र जीया राम जाति बिश्नोई साकिन 11 टी के तहसील रायसिंहनगर
स्टेट आफ राजस्थान

प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम।

उपस्थित : 1. श्री गुरजीतसिंह, राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री विकास बिश्नोई, अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 03–06–22

हस्तगत प्रकरण जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक सीजी/वाचक/कार्यविभाजन/2022/36 दिनांक 14.01.2022 के द्वारा रायसिंहनगर तहसील के राजस्व प्रकरणों का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को दिए जाने फलस्वरूप अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के पत्रांक 196 दिनांक 09.02.2022 द्वारा स्थानानरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

सक्षेंप में प्रकरण के सारवान एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी के नाम चक ठाकरी बारानी में खाता सं0 53 में मु0 नं0 68 के 24–10 बीघा वा मु0 नं0 70 के 24–10 बीघा कुल 49–00 बीघा रकबा आवंटन करवाया है। अप्रार्थी के लड़के के नाम मु0 नं0 71 के 12–10 बीघा, भजन लाल के नाम व 12–10 बीघा देवी लाल के नाम आवंटन करवाया है। अप्रार्थी ने गलत तथ्य अंकित कर आवंटन करवाया है। अप्रार्थी की पत्नी सरबती के नाम मु0 नं0 49 के 5–00 बीघा भूमि रेकार्ड में अंकित है और सही राम के नाम खाता सं0 117 चक 11 टी के में 12–10 बीघा रकबा अंकित है जो अप्रार्थी ने तथ्य छुपा कर आवंटन करवाया है। अप्रार्थी खुद फाजिल्का तह0 में खैरपुर गॉव का रहने वाला है जिसके नाम तहसील फाजिल्का में 17–12 बीघा जमीन सन् 1963–64 में रेकार्ड में अंकित है। सन् 1955

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

से पहले पंजाब में इनके नाम भूमि होने के कारण राजस्थान का मूल निवासी नहीं है। पंजाब में 17–12 बीघा भूमि होने से अप्रार्थी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है। अप्रार्थी के नाम चक 45 पी एस में 50–00 बीघा जमीन खातेदारी बेचान होना अंकित किया गया है जो रकबा इसका खातेदारी था। जब तक अप्रार्थी के पास रकबा खातेदारी था तब तक वह भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आ सकता है। चक 12 टी के मु0 नं0 30 के 12.10 बीघा रकबा नहरी अपने लड़के के नाम टी सी पर साज बाज करके करवा लिया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि आवंटन शुदा रकबा व टी सी पर आवंटित रकबा को निरस्त फरमाया जावे।

शिकायत प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी सही राम द्वारा दिनांक 18–2–92 को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार शिकायत निराधार व गलत तथ्यों पर पेश की गई है। शिकायतकर्ता पतराम शिकायत करने का आदी है व बार बार उसके विरूद्व शिकायतें करता रहता है। शिकायतकर्ता द्वारा उसके विरूद्व इसी जमीन की व इन्हीं तथ्यों पर प्रार्थी व उसके पुत्रों के भूमि आवंटन की शिकायत की गई थी, जिसका फैसला दिनांक 24–9–90 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा शिकायत को निराधार मान कर खारिज की गई है इसलिए मौजूदा सूरत में उन्हीं तथ्यों पर व उसी जमीन के बारे में दुबारा शिकायत चलने योग्य नहीं है। अतः शिकायत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

शिकायत प्रार्थना पत्र का जवाब अप्राथी सही राम की पत्नी सरस्वती बेवा सही राम द्वारा भी दिनांक 24–4–03 को प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार शिकायत आधारहीन व रंजिशवश की गई है। शिकायत की जॉच पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा की जा चुकी है। शिकायत में लगाए गए आरोप जॉच में सही नहीं पाए गए । अप्रार्थी सही राम चक 11 टी के तहसील रायसिंहनगर में सन् 1947 से पूर्व से निवास करता था। सन् 1947 के बाद अप्रार्थी सही राम कभी पंजाब नहीं गया। पंजाब में केवलमात्र सही राम की मामूली पैतृक सम्पति थी जिसका बेचान नहीं किया गया। यह भूमि सही राम के कब्जा में कभी नहीं रही ।अप्रार्थी सही राम के नाम केवल मात्र 24–10 बीघा बारानी भूमि थी जिसको बन्दोबस्त में नहरी दिखाया गया है। तहसीलदार की जॉच में यह भूमि बारानी पाई गई है। अप्रार्थी ने आवेदन पत्र में ऐसा कोई तथ्य नहीं छिपाया है, जिसके कारण अप्रार्थी को भूमि का आवंटन नहीं हो सकता था। समस्त कानूनी प्रकिया अपनाने के बाद आवंटन किया गया है। आवंटन नियम की किसी शर्त का उल्लघंन नहीं किया गया है। अतः शिकायत खारिज की जावे।

पत्रावली अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अप्रार्थी के पास पंजाब में भूमि होने के तथ्य को छिपा कर आवंटन करवाया है तथा पूर्व में उसके पास खातेदारी भूमि थी इसलिए वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है और न ही वह राजस्थान का मूल निवासी है। तथ्यों को छिपा कर करवाया गया आवंटन एवं टीसी पर करवाया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि खाता सं0 53 में मु0 नं0 68 के 24–10 बीघा वा मु0 नं0 70 के 24–10 बीघा कुल 49–00 बीघा रकबा आवंटन करवाया है जिसकी अप्रार्थी पात्रता रखता है। शिकायत झूठी एवं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

निराधार है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन में किसी प्रकार के तथ्य को छिपाया नहीं गया है। शिकायत खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का सावधानी से अवलोकन किया गया।

शिकायतकर्ता ने शिकायत प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी सही राम पुत्र जिया राम के पास पटवारी फार्म नं0 10 के अनुसार तहसील फाजिल्का जिला फरोजपुर (पंजाब) में भूमि होने के संबंध में जमाबंदी की फोटो प्रति प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार 3/16 हिस्से भूमि बताई गई है। इसी प्रकार जमाबन्दी 1968–69 बदस्त सं0 68 पटवारी फार्म नं0 10 बी के अनुसार अप्रार्थी सही राम पुत्र जिया राम पुत्र आसाराम के पास गॉव खैरपुर तहसील फाजिलका जिला फिरोजपुर (पंजाब) में 3/16 भूमि थी। जमाबंन्दी सम्वत् 2011 से 2014 ग्राम ठाकरी बारानी में अप्रार्थी सही राम पुत्र जिया राम के पास मु0 नं0 68 की 24–10 बीघा व मु0 नं0 69 की 24–10 बीघा कुल 49–00 बीघा बारानी भूमि थी जिसका राजस्व अभिलेख नामान्तरण सं0 32 दिनांक 15–1–53 स्वीकृत है।

उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर द्वारा भूमि के संबंध में प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक आवंटन/अपील/97/930 दिनांक 09–07–97 के अनुसार :–

1. सही राम पुत्र जिया राम को ठाकरी बारानी का मु0 नं0 68 के 24–10 बीघा व 70 के 24–10 बीघा कुल 49–00 बीघा रकबा बारानी भूमि जिला कलक्टर , श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 29–11–52 द्वारा आवंटन किया गया है।

2. देवी लाल पुत्र सही राम को पूर्व चक ठाकरी मु0 नं0 71 हाल चक 45 पी एस का मु0 नं0 5 के 12.05 बीघा दिनांक 31–5–58 को काशी राम पुत्र राम रख ब्राहमण से खरीद की गई थी।

3. भजन लाल पुत्र सही राम गत चक ठाकरी बारानी मु0 नं0 71 हाल 45 पी एस का मु0 नं0 5 के 12.05 बीघा भूमि दिनांक 31–5–58 को मोहन लाल पुत्र कन्हैया लाल अग्रवाल से खरीद की गई है।

4. सरबती पत्नी सही राम ने चक 11 टी के मु0 नं0 49 के 5–00 बीघा भूमि दिनांक 18–7–68 को जानकी उर्फ मेहर कौर पत्नी दयालीराम खत्री से खरीद की गई है।

5. सही राम पुत्र जिया राम बिश्नोई को 11 टी के मु0 नं0 41 के 12–10 बीघा भूमि हरीहरकिशोर पुत्र छज्जूराम व रामकुमार पुत्र हरीहर किशोर जाति ब्रहामण से दिनांक 22–4–63 को खरीद की गई है।

तहसील रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/22/2046 दिनांक 3–7–99 के अनुसार अप्रार्थी सही राम व उसके परिवार की निम्नानुसार आयु बताई गई है :–

1.	बेवा सही राम	80 वर्ष
2.	देवी लाल पुत्र	44 वर्ष
3.	भजन लाल पुत्र	38 वर्ष

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

4. शिवकरण पुत्र 36 वर्ष

5. राजाराम पुत्र 33 वर्ष

6. मनसुखराम पुत्र 30 वर्ष

7. मनोहर लाल पुत्र 28 वर्ष

पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा की गई जॉच दिनांक 24-9-90 में यह निष्कर्ष दिया गया है कि सही राम के नाम जो पंजाब में जमीन है, वह उसकी पुश्तैनी है। पुश्तैनी जमीन में से उसका हिस्सा मात्र है। शिकायतकर्ता यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि सही राम 1955 से लेकर भूमि आवंटन तक पंजाब का निवासी था और है। शिकायत में कोई सार नहीं मानते हुए शिकायत खारिज कर दी गई थी।

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 9-7-97 के अनुसार सही राम पुत्र जियाराम अप्रार्थी को चक ठाकरी बारानी में मु0 नं0 68 व 70 में कुल 49-00 बारानी भूमि कलक्टर, श्री गंगानगर द्वारा दिनांक 29-11-52 को आवंटित की गई है। उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हो चुका है। आवंटन के बाद अप्रार्थी के पुत्र देवी लाल व पुत्र भजन लाल द्वारा चक 11 टी के के मु0 नं0 71 नया चक 45 पी एस के मु0 नं0 5 की 12-05 एवं 12-05 कुल 24-10 बीघा भूमि दिनांक 31-5-68 को खरीद की गई है। अप्रार्थी स्वंय द्वारा मु0 नं0 41 की 12-10 बीघा भूमि दिनांक 22-04-63 को खरीद की गई है। अप्रार्थी की पत्नी सरस्वति द्वारा मु0 नं0 49 की 5-00 बीघा भूमि दिनांक 18-7-68 को खरीद की गई है। इस प्रकार, उपरोक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी को चक ठाकरी बारानपी में मु0 नं0 68 व 70 की 49-00 बीघा बारानी भूमि का आवंटन दिनांक 29-11-52 को किया गया है, जिसे राजकीय अधिवक्ता भी स्वीकार करते हैं। उक्त भूमि के अलावा अप्रार्थी द्वारा अन्य किसी भूमि का आवंटन नहीं करवाया गया है बल्कि शेष जो भूमि पुत्रों एवं पत्नी के नाम से है वह आवंटन तिथि के बाद खरीद की गई है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायत में कोई सार प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणाम स्वरूप, मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूँ कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत सारहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 03.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अति० जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्री गंगानगर।